सं.–86 जी.आई.ए./9-7-5 एन.आर.वाई/91

प्रेषक,

डा. आर.सी. श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 2 अप्रैल, 1991

नगर विकास अनुभाग–7

विषय : नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित जिला नेहरू रोजगार समितियों को नवगठित जिला नगरीय विकास अभिकरण में संविलीन किया जाना।

महोदय,

जिला नेहरू रोजगार योजना समितियों के गठन विषयक शासनादेश संख्या–666/-9-1-90-5 ने./90 दिनांक 8 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला स्तर पर नेहरू रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं उपलब्ध धनराशियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी जनपदों में जिला नगरीय विकास अभिकरण का गठन किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। प्रदेश के अधिसंख्य जनपदों में प्रश्नगत अभिकरण गठित भी हो चुके हैं।

2. पूर्व में गठित नेहरू रोजगार योजना समितियाँ भी प्रायः उसी प्रयोजन एवं उद्देश्य के लिए गठित की गयी थीं, जिनके लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण का गठन किया गया है। अतः इन अभिकरणों के गठित हो जाने के बाद नेहरू रोजगार समितियों के प्रथक अस्तित्व की आवश्यकता एवं उपयोगिता समाप्त हो जाती है।

3. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार एवं शासन ने यह निर्णय लिया है कि जनपदों में जिला नगरीय विकास अभिकरण का गठन हो जाने के पश्चात जिला नेहरू रोजगार योजना समिति को अभिकरण में संविलीन कर दिया जाए।

4. जिन जनपदों तक जिला नगरीय विकास अभिकरण का गठन नहीं हो पाया है उनमें अभिकरण का गठन हो जाने के तुरन्त पश्चात नेहरू रोजगार योजना समिति के प्रथक अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाय।

4. आपसे यह भी अनुरोध है कि जिला नगरीय विकास अभिकरण की बैठक शीघ्रातिशीघ्र बुलाकर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

भवदीय,

**आर.सी. श्रीवास्तव**
विशेष सचिव।

सं–86 जी.आई.ए./9–7–5 एन.आर.वाई./91

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त मुख्य नगर अधिकारी।
2. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिकाएं/नोटीफाइड एरिया/कमेटीज/सिटी बोर्डस/टाउन एरिया कमेटीज, उ.प्र.।
3. परियोजना निदेशक/समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ.प्र.।
4. निदेशक (यू.पी.ए.) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

**आर.सी. श्रीवास्तव**
विशेष सचिव।